भारत सरकार
खान मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3068
दिनांक 11.03.2026 को उत्तर देने के लिए

एमएमडीआर अधिनियम और खनिज (नीलामी) नियम में संशोधनों का प्रभाव

3068. श्री नारायण तातू राणेः

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) खान और खनिज (विकास और विनियमन) (एमएमडीआर) अधिनियम और खनिज (नीलामी) नियम में किए गए संशोधनों का खनिज ब्लॉकों की नीलामी और इन्हें शुरू किए जाने की प्रक्रिया में तीव्रता लाने पर क्या प्रभाव पड़ा है;
(ख) बोलीदाताओं या राज्यों के कारण होने वाले विलंब को कम करने में नई प्रस्तावित मध्यस्थ समय-सीमा, शास्तियों और प्रोत्साहनों की प्रभावशीलता क्या है;
(ग) नीलामी व्यवस्था में शामिल होने वाले नए राज्यों की संतुलित सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है; और
(घ) सरकार द्वारा घरेलू खनिज उत्पादन बढ़ाने के लिए नीलाम किए गए खनिज ब्लॉकों की प्रचालनगत शुरुआत को और अधिक गति देने हेतु उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कोयला और खान राज्य मंत्री
(श्री सतीश चंद्र दूबे)

(क) खान और खनिज (विकास और विनियमन) (एमएमडीआर) अधिनियम, 1957 को खनिज रियायतों की नीलामी शुरू करने के लिए वर्ष 2015 में संशोधित किया गया। वर्ष 2021 में किए गए और संशोधनों ने अंतिम उपयोग प्रतिबंधों को हटाकर, कैप्टिव खानों से खनिजों की बिक्री की अनुमति देकर, वैधानिक अधिकारों और मंजूरियों के स्वचालित हस्तांतरण के लिए प्रावधान करके और खनिज रियायतों के हस्तांतरण की अनुमति देकर खनिज ब्लॉकों की तेजी से नीलामी और प्रचालन को सुगम बनाया। जी4 स्तर पर समेकित

अनुज्ञप्ति ब्लॉकों और जी3 स्तर पर सतही खनिजों के लिए खनन पट्टा ब्लॉकों की नीलामी की अनुमति देकर नीलामी ढांचे को सरल बनाया गया। एमएमडीआर अधिनियम, 1957 की धारा 10ख और 11 के तहत, और एमएमडीआर संशोधन अधिनियम, 2023 के अनुसरण में, केंद्र सरकार को महत्वपूर्ण और सामरिक खनिज ब्लॉकों सहित नीलामी आयोजित करने का अधिकार दिया गया है। अब तक, केंद्र सरकार द्वारा 46 महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों की नीलामी की गई है।

वर्ष 2015 में नीलामी व्यवस्था की शुरूआत के बाद से, वित्त वर्ष 2020-21 तक 108 ब्लॉकों की नीलामी की गई। वर्ष 2021 में खनन क्षेत्र सुधारों के बाद, वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 तक (अब तक) कुल 552 ब्लॉकों की नीलामी की गई है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न सुधारों के कारण, प्रचालन की गति में भी वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 2025-26 में (अब तक) 26 ब्लॉकों में प्रचालन शुरू किया गया है।

(ख) खान मंत्रालय ने खानों के तेजी से प्रचालन को सुनिश्चित करने के लिए मध्यवर्ती समय-सीमाएं शुरू की हैं, जो 17.10.2025 को अधिसूचित की गई हैं। इन नियमों में समय सीमा से परे प्रत्येक माह या माह के एक भाग में देरी (बोलीदाता के कारण) के लिए निष्पादन प्रतिभूति का 1% विनियोजन का प्रावधान है। इन नियमों में, नियत समग्र समय सीमा के भीतर अंतिम उपलब्धि प्राप्त होने पर, देय नीलामी प्रीमियम की तुलना में विनियोजित राशि, यदि कोई हो, के समायोजन का भी प्रावधान है। इसके अलावा, इन नियमों में निर्धारित समय के बाद अधिमानित बोलीदाता को आशय पत्र जारी करने में राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक माह या माह के एक भाग में देरी के लिए अग्रिम भुगतान की दूसरी किस्त की राशि में 5 प्रतिशत की कमी का भी प्रावधान है।

इसके अलावा, नीलामी की गई खानों से उत्पादन जल्दी शुरू करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया गया है। पट्टेदार को खनन पट्टा प्रदान करने के लिए आशय पत्र जारी होने की तिथि से पांच वर्षों के भीतर या समेकित अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आशय पत्र जारी होने की तिथि से सात वर्षों के भीतर उत्पादित खनिज के लिए नीलामी प्रीमियम का केवल 50% भुगतान करना होगा।

(ग) राज्य गवेषित संसाधनों और ब्लॉकों को अलग करने के आधार पर नीलामी के लिए ब्लॉक रखते हैं। खान मंत्रालय, राज्य सरकारों के साथ नियमित समीक्षा बैठकों के माध्यम से, राज्यों को और अधिक खनिज ब्लॉकों की नीलामी करने के लिए प्रोत्साहित करता है।

इसके अलावा, राष्ट्रीय खनिज खोज एवं विकास न्यास (एनएमईडीटी) प्रत्येक सफल खनिज ब्लॉक की नीलामी के लिए राज्य सरकारों को 20 लाख रुपए का वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करता है तथा उन ब्लॉकों के लिए जो नीलामी के लिए रखे गए थे लेकिन नीलाम नहीं किए जा सके, प्रति ब्लॉक 5 लाख रुपए की सीमा के अध्यधीन लेनदेन सलाहकार को भुगतान की गई राशि के 50 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति करता है।

(घ) खान मंत्रालय ने नीलामी किए गए खनिज ब्लॉकों के प्रचालन को तेज करने और घरेलू खनिज उत्पादन बढ़ाने के लिए कई उपाय किए हैं। महत्वपूर्ण उपायों में नियमित उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठकें, खनिज (नीलामी) नियमों के तहत मध्यवर्ती समयसीमा की शुरुआत, पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना (एसएएससीआई) 2025-26 के माध्यम से वित्तीय प्रोत्साहन, तथा एक समर्पित परियोजना प्रबंधन इकाई और खनन डैशबोर्ड के माध्यम से निगरानी शामिल है।

*****